

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - मिस्वाहीडा)

धारा अन्तर्गत - 136

प्रसं 8576

दायर दिनांक 02/10/2025 निर्णय दिनांक 5/10/25

रिपोर्ट



| | | | | | |
|---------|-------------|-----|--|---------------------------|---|
| क्र.नं. | नाम - ग्राम | खान | महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। | | कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
| | | | वर्तमान प्रविष्टी | शुद्ध प्रविष्टी | |
| | | | बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक | राजस्थान ग्रामीण बैंक | तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम मिस्वाहीडा प.ह. मिस्वाहीडा में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। |
| | | | हस्ताक्षर पत्रकर्ता पटवारी हस्ताक्षर गिरुआवर | हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार | पदेन सहायक कलक्टर कपासन |
| | | | पटवार मण्डल मिस्वाहीडा तह. कपासन (चितौडगढ) | | |

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे।

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन
तहसीलदार कपासन
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन चितौडगढ